

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-68/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आभा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, सारण द्वारा दिनांक-22.02.2023 से 21.08.2023 तक कुल-181 (एक सौ इक्यासी) दिनों की उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-188(25), दिनांक-22.01.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० आभा का 549 (पाँच सौ उनचास) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-68/2024- 1830 (2) पटना, दिनांक 31/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, श्रीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, सारण/ कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/डा० आभा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।